नियम एवं शर्तें - एटीएम डेबिट कार्ड

डेबिट कार्ड एक भौतिक या वर्चुअल कार्ड है, जिसे बैंक अपने ग्राहकों को जारी करता है। यह बचत या चालू खाते से जुड़ा होता है और नकद निकासी, ऑनलाइन भुगतान, PoS टर्मिनल / क्रिक रिस्पांस (QR) कोड लेन-देन, फंड ट्रांसफर तथा बैंक द्वारा समय-समय पर प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।

1. **परिभाषाएं**
   इस अनुभाग में प्रयुक्त बड़े अक्षरों वाले शब्द, जिन्हें नीचे परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो खाते पर सामान्य रूप से लागू नियमों और शर्तों के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है। इस अनुभाग में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो:

   a. "**खाता लेन-देन**" का अर्थ एटीएम/डेबिट कार्ड के माध्यम से खाते पर किए गए निम्नलिखित लेन-देन में से कोई एक या सभी लेन-देन होगा:
      i. एटीएम/माइक्रो एटीएम के माध्यम से नकद निकासी;
      ii. एटीएम/माइक्रो एटीएम के माध्यम से खाता जानकारी प्राप्त करना;
      iii. एटीएम/माइक्रो एटीएम के माध्यम से एटीएम PIN बदलना;
      iv. डिवाइस के माध्यम से नकदी/चेक या अन्य वित्तीय साधनों का जमा करना; और मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट में ईडीसी या ऑनलाइन लेन-देन का उपयोग करना, जो खाते में उपलब्ध धनराशि के अधीन होगा।

   b. "**डिवाइस**" का अर्थ निम्नलिखित में से किसी एक या सभी डिवाइस से होगा:
      i. एटीएम
      ii. माइक्रोएटीएम
      iii. पीओएस और
      iv. कार्ड लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए आरबीआई या कार्ड नेटवर्क द्वारा अनुमोदित कोई अन्य डिवाइस।

   c. "**पिन**" का अर्थ है गोपनीय व्यक्तिगत पहचान संख्या, जिसे कार्डधारक स्वयं सेट करता है। इस पिन की आवश्यकता डिवाइस पर किसी भी वित्तीय या गैर-वित्तीय लेन-देन को सुगम बनाने के लिए होती है।

   d. "**कार्ड धारक या धारक**" का तात्पर्य एटीएम/डेबिट कार्ड के धारक से है, जो ग्राहक या ग्राहक द्वारा इस संबंध में विधिवत रूप से अधिकृत व्यक्ति है, और जिसे बैंक द्वारा स्वीकार किया गया हो।

   e. "**ईडीसी**" का अर्थ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर टर्मिनल से है, चाहे वह बैंक का हो या किसी साझा नेटवर्क का, जिस पर, अन्य चीजों के अलावा, ग्राहक खाते में फंड को एक्सेस करने के लिए एटीएम/डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकता है।

   f. "**मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट**" का तात्पर्य उन इस्टैब्लिशमेंट से है जो बैंक द्वारा जारी एटीएम/डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं और इसमें स्टोर, दुकानें, रेस्तरां, होटल, एयरलाइन कंपनियां, मेल ऑर्डर विज्ञापनदाता (चाहे वे खुदरा विक्रेता, वितरक या निर्माता हों) और ई-कॉमर्स साइटें शामिल हो सकती हैं।

   g. "**पीओएस**" का अर्थ प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल है, जो भारत या विदेश में हो सकता है, और जो बैंक या किसी साझा नेटवर्क का हो सकता है, इस टर्मिनल पर ग्राहक अन्य सुविधाओं के साथ-साथ अपने खाते में फंड को एक्सेस करने के लिए एटीएम/डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकता है।

   h. "**ऑनलाइन**" का अर्थ मर्चेंट की वेबसाइट या एप्लिकेशन पर किए गए लेन-देन से है। ऐसे लेन-देन को "कार्ड नॉट प्रेजेंट" लेन-देन के रूप में भी जाना जाता है।

i. "**संपर्क आधारित लेन-देन**" वह लेन-देन है, जिसमें पीओएस टर्मिनल पर डेबिट कार्ड को डिप या इन्सर्ट करके किया जाता है।

j. "**संपर्क रहित लेन-देन**" एक प्रकार का लेन-देन है जो केवल पीओएस टर्मिनल पर डेबिट कार्ड टैप करके किया जाता है।

2. **उपयोग की सामान्य शर्तें और नियम:**

a. कार्डधारक इस बात से सहमत हैं कि बैंक ने उनके अनुरोध पर कार्ड जारी किया है और इन नियमों और शर्तों तथा खाते पर लागू सभी नियमों और शर्तों के अधीन, बैंक अपने विवेकानुसार प्रत्येक धारक को एटीएम/डेबिट कार्ड जारी करेगा। एटीएम/डेबिट कार्ड हस्तांतरणीय नहीं है। धारक किसी भी डिवाइस पर खाता लेन-देन करने के लिए एटीएम/डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, कार्डधारक इस बात से सहमत हैं कि वह अपना कार्ड किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं सौंपेंगे और कार्ड उसके ग्राहक के पास ही रहेगा।

b. कार्डधारक इस बात से सहमत हैं कि खाता खोलने या कार्ड का लाभ उठाने के समय उन्हें कार्ड की विशेषताओं, लाभों और शुल्कों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

c. कार्डधारक इस बात से सहमत हैं कि डेबिट कार्ड का लाभ उठाने के लिए ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी सही है और किसी भी बदलाव के मामले में बैंक को सूचित करेगा।

d. कार्डधारक इस बात को समझते हैं और सहमत हैं कि किसी भी वित्तीय क्षति से बचने के लिए कार्ड खो जाने की स्थिति में उन्हें तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए।

e. कार्डधारक इस बात से सहमत हैं कि वह कार्ड को सुरक्षित रखेंगे और कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए बैंक द्वारा दिए गए विकल्पों का उपयोग करेंगे जैसे ऑनलाइन लेन-देन के लिए कार्ड टोकनाइजेशन, अनावश्यक लेन-देन को बंद करना, अपनी पसंद की सीमा निर्धारित करना और नियमित लेन-देन द्वारा कार्ड को सक्रिय रखना।

f. कार्डधारक समझते हैं कि बैंक भौतिक पिन नहीं भेजता है और पिन जनरेशन प्रक्रिया मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग या बैंकर ऑन कॉल (बीओसी) के माध्यम से ऑनलाइन होती है। इसके अलावा, बैंक कार्डधारक के विशेष अनुरोध के मामले में भौतिक पिन की सुविधा प्रदान करेगा और ऐसे मामले में कार्डधारक सहमत है कि वह कार्ड को सक्रिय करने के तुरंत बाद भौतिक पिन के पिन साझा करेंगे।

g. कार्डधारक समझते हैं कि यदि वह डेबिट कार्ड का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो वह एटीएम या पीओएस लेन-देन नहीं कर पाएंगे, जहाँ भौतिक कार्ड की आवश्यकता होती है।

h. कार्डधारक स्वीकार करते हैं कि उन्नत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उनका कार्ड प्रारंभ में निष्क्रिय मोड में जारी किया जाता है। सक्रियण के बाद, यह केवल घरेलू एटीएम और पीओएस लेनदेन के लिए कार्य करेगा। यदि कार्डधारक अंतर्राष्ट्रीय एटीएम, अंतर्राष्ट्रीय पीओएस, ऑनलाइन या संपर्क रहित लेनदेन करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी पसंद के अनुसार इन सुविधाओं को सक्षम करना और उपयुक्त सीमाएँ निर्धारित करनी होंगी।

i. कार्डधारक समझते हैं कि डेबिट कार्ड का उपयोग करके किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के अधीन हैं और लागू दरें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। कार्डधारक यह भी समझते हैं और सहमत है कि बैंक द्वारा भारत सरकार को भुगतान किए गए टीसीएस के संबंध में किसी भी वसूली के मामले में, कार्डधारक को अपने खातों को उचित रूप से निधिबद्ध रखना होगा। वसूली न होने की स्थिति में, बैंक कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है।

j. कार्डधारक किसी भी परिवर्तन की स्थिति में कार्ड से जुड़े खाते में अपने संपर्क विवरण को अपडेट करने के लिए सहमत हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, संबंधित पता जैसी जानकारी हर समय अपडेट की जाएगी।

k. कार्डधारक सहमत हैं कि यदि एटीएम, संपर्क रहित या संपर्क, ईडीसी या ऑनलाइन सहित पीओएस पर लेन-देन किए जाने के बाद उन्हें मोबाइल पर लेन-देन संदेश प्राप्त नहीं होते हैं, तो उन्हें बैंक को सूचित करना होगा।

l. डेबिट कार्ड के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं है और बैंक ऐसे लेन-देन के लिए ग्राहकों को दिए गए किसी भी रिवॉर्ड पॉइंट/कैशबैक को वापस लेने/होल्ड करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

m. बैंक आपके आईडीएफसी फर्स्ट डेबिट कार्ड पर बीमा लाभ के लिए खाता स्तर पर अपडेट किए गए नामांकित व्यक्ति को नामांकित व्यक्ति के रूप में मानेगा और इसे आरबीआई मास्टर निर्देश – क्रेडिट कार्ड और डेबिट

कार्ड – जारी करने और आचरण निर्देश, 2022 के अनुपालन में हमारे बीमा भागीदारों के साथ साझा किया जाएगा। नामांकित व्यक्ति का अपडेशन यानी पहली बार अपडेट और/या नामांकित व्यक्ति का परिवर्तन हमारे मोबाइल बैंकिंग/नेट बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध है और आप इस तरह के अपडेशन के लिए हमारी बैंक शाखा में भी जा सकते हैं।

n. आयकर अधिकारियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन करने के लिए पैन (अनिवासी ग्राहक को छोड़कर) की उपलब्धता अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त 1 जुलाई, 2023 से, यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है (जब तक कि छूट प्राप्त श्रेणियों में न आता हो) तो वह निष्क्रिय हो जाएगा और ऐसी स्थिति में आप अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया **यहां क्लिक** करें।

o. इसके अतिरिक्त यदि पैन निष्क्रिय है, तो ग्राहक मोबाइल बैंकिंग/नेट बैंकिंग से अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन फ्लैग (एटीएम, पीओएस, ई-कॉम के लिए) को तब तक सक्षम नहीं कर पाएंगे, जब तक कि पैन और आधार लिंक नहीं हो जाते और बैंक सिस्टम में भी यह दिखाई नहीं देता।

p. पिन सुरक्षित करना:

1. पिन की सुरक्षा सर्वोपरि है और धारक को इसे गोपनीय रखना चाहिए तथा किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि धारक पिन को याद रखें तथा कार्ड के पीछे न लिखें। धारक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि डिवाइस को कवर किया गया हो ताकि कोई भी व्यक्ति दर्ज किए जा रहे पिन को न देख सके। इसके अलावा, धारक यह सुनिश्चित करेंगे कि वह:
    a. किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को पिन का खुलासा नहीं करेंगे और किसी भी व्यक्ति को किसी भी उपकरण में पिन दर्ज किए जाने को देखने से रोकेगा और किसी भी व्यक्ति द्वारा इसकी खोज को रोकने के लिए हर संभव सावधानी रखेंगे;
    b. एटीएम/डेबिट कार्ड पर पिन नहीं लिखेंगे या इंगित नहीं करेंगे या किसी भी तरीके से पिन का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे;
    c. किसी भी तरह से पिन का कोई भौतिक नोटिंग नहीं रखेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति उस तक पहुंच सके;
    d. कवर/पत्र/लिफाफे पर बताए गए सभी सावधानियों का पालन करेंगे जिसमें पिन दिया जाता है।
    e. यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्ड डेटा सुरक्षा के लिए मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट या ईडीसी पर लेन-देन कार्डधारक के सामने किया जाए।
2. एटीएम/डेबिट कार्ड के माध्यम से पिन के धोखाधड़ीपूर्ण/अनधिकृत उपयोग के मामले में न तो ग्राहक और न ही धारक बैंक को उत्तरदायी ठहराएगा, जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है और/या यह किसी तीसरे पक्ष के हाथों में पड़ गया है या पिन का दुरुपयोग किया जा रहा है और/या किसी तीसरे पक्ष की जानकारी में आ गया है। ग्राहक एटीएम/डेबिट कार्ड और/या पिन के ऐसे दुरुपयोग और/या धोखाधड़ीपूर्ण/अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले/झेलने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत, शुल्क या व्यय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा। यदि धारक इन सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है और पिन के साथ समझौता होने देता है, तो वह इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा।
3. **एटीएम/डेबिट कार्ड का रद्दीकरण:** यदि खाता स्थायी रूप से बंद हो जाता है या अस्थायी रूप से चालू नहीं होता अपने विवेक से एटीएम/डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को रद्द करने, निलंबित करने या बंद करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ग्राहक स्वेच्छा से बैंक से मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के माध्यम से एटीएम/डेबिट कार्ड को ब्लॉक करके या शाखा या बैंकर को कॉल करके एटीएम/डेबिट कार्ड को रद्द करने का अनुरोध कर सकता है। धारक से सलाह/निर्देश प्राप्त होने पर, बैंक तुरंत एटीएम/डेबिट कार्ड और पिन को रद्द कर देगा और पावती साझा करेगा। कार्डधारक कार्ड रद्द करने या ब्लॉक करने की सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बैंक को सूचित करने के लिए सहमत है। रद्द करने के बाद, एटीएम/डेबिट कार्ड और पिन का फिर से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, भले ही बाद में मिल जाए।
4. **खोया या चोरी हुआ एटीएम/डेबिट कार्ड या प्रकट किया गया पिन:** धारक को जैसे ही यह आशंका होने का कारण होगा कि एटीएम/डेबिट कार्ड का दुरुपयोग किया गया है या हो सकता है, खो गया है या चोरी हो गया धारक द्वारा कार्ड के खो जाने/चोरी हो जाने की सूचना दिए जाने से पहले कार्ड के दुरुपयोग से हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि धारक को बैंक की वेबसाइट पर समय-समय पर प्रकाशित नियमों व शर्तों के आधार पर बैंक द्वारा "खोए हुए कार्ड देयता"

कवर के लिए योग्य नहीं माना जाता है। धारक या ग्राहक से सलाह/निर्देश प्राप्त होने पर, बैंक एटीएम/डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देगा और ईमेल या एसएमएस के माध्यम से पुष्टि जारी करेगा। ब्लॉक करने के बाद, एटीएम/डेबिट कार्ड का फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है, भले ही बाद में मिल जाए। बशर्ते कि, एटीएम/डेबिट कार्ड के दुरुपयोग, हानि या चोरी होने या किसी व्यक्ति द्वारा एटीएम/डेबिट कार्ड और/या पिन का खुलासा/पहुंच के मामले में, ग्राहक/धारक को तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए और एफआईआर भी दर्ज करनी चाहिए और उसके बाद एक प्रति बैंक को भेजनी चाहिए। ग्राहक उक्त एटीएम/डेबिट कार्ड/पिन पर लगने वाले सभी शुल्कों के लिए उत्तरदायी होगा, बैंक, ग्राहक/धारक को संदर्भित या नोटिस जारी किए बिना, एटीएम/डेबिट कार्ड/पिन के खोने या चोरी होने के बारे में पुलिस या अन्य संबंधित अधिकारियों को कोई भी जानकारी दे सकता है। इसके अलावा, एटीएम/डेबिट कार्ड के दुरुपयोग, खोने या चोरी होने या किसी तीसरे पक्ष द्वारा पिन का खुलासा/पिन तक पहुँच की लिखित पुष्टि की एक प्रति पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति के साथ बैंक को प्रस्तुत की जाएगी। बैंक किसी भी परिस्थिति में और/या किसी भी समय एटीएम/डेबिट कार्ड और/या पिन के किसी भी दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ग्राहक द्वारा आवेदन करने पर बैंक द्वारा बाद में जारी किया गया कोई भी प्रतिस्थापन एटीएम/डेबिट कार्ड और पिन इन नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

5. **एटीएम/डेबिट कार्ड का उपयोग और दुरुपयोग के लिए उत्तरदायित्व:**

a. सभी धारक और ग्राहक संयुक्त रूप से और अलग-अलग स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि ग्राहक के अनुरोध और जोखिम पर, बैंक धारक को एटीएम/डेबिट कार्ड का उपयोग करके खाता लेन-देन निष्पादित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। हालांकि, एटीएम/डेबिट कार्ड का उपयोग खाते में उचित जमा शेष राशि के अधीन है।

b. एटीएम/डेबिट कार्ड के माध्यम से नकद निकासी की सुविधा बैंक द्वारा सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है और ग्राहक सहमत है कि वह एटीएम की खराबी या एटीएम में अपर्याप्त नकद शेष राशि या एटीएम साइट के बंद होने या किसी अन्य कारण से ग्राहक द्वारा एटीएम से नकद निकालने में असमर्थता के मामले में किसी भी परिणाम के लिए बैंक को किसी भी तरह से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराएगा।

c. ग्राहक इसके द्वारा बैंक को किसी भी और सभी खाता लेन-देन को संसाधित करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करते हैं, चाहे वे वास्तविक रूप से या अन्यथा और धारक या खाते के किसी संयुक्त धारक या किसी अन्य पक्ष द्वारा किए गए हों। ग्राहक एटीएम/डेबिट कार्ड का लाभ उठाते/उपयोग करते समय सभी लागू कानूनों/प्रक्रियाओं का अनुपालन करने का वचन देते हैं।

d. ग्राहक एटीएम/डेबिट कार्ड के माध्यम से किसी भी डिवाइस पर किए गए खाता लेन-देन के लिए सभी परिस्थितियों में पूर्ण जिम्मेदारी और देयता स्वीकार करता है, चाहे ऐसे खाता लेन-देन को ग्राहक के ज्ञान के साथ संसाधित किया गया हो या नहीं। एटीएम/डेबिट कार्ड के संबंध में उपयोग के माध्यम से दिया गया कोई भी निर्देश अपरिवर्तनीय होगा। ग्राहक इसके द्वारा बैंक को किसी भी निकासी या हस्तांतरण की राशि के साथ खाते को डेबिट करने या बैंक के लेन-देन के रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी एटीएम/डेबिट कार्ड के उपयोग से प्राप्त होने वाले ऐसे किसी भी निर्देश को पूरा करने के लिए अधिकृत करता है, जिसे ग्राहक अंतिम और निर्णायक के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत होते हैं।

e. बैंक वैश्विक और घरेलू धोखाधड़ी और दुरुपयोग की प्रवृत्तियों के आधार पर ग्राहक कार्ड और खाते की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक नियंत्रण लागू करता रहेगा।

f. बैंक सभी चैनलों (एटीएम, पीओएस और ऑनलाइन सहित) पर अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड लेन-देन को प्रतिबंधित करेगा, यदि वे उच्च जोखिम के रूप में पहचाने गए अधिकार क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। उच्च जोखिम वाले देशों का निर्धारण एफएटीएफ या संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और निर्देशों के आधार पर किया जाएगा। ऐसे देशों में लेन-देन करते समय ग्राहकों को सावधानी बरतनी चाहिए।

g. ग्राहक यह समझते हैं, सहमत है और वचनबद्ध है कि:

i. ग्राहक एटीएम/डेबिट कार्ड के साथ खाता लेन-देन पर कार्रवाई करने और उसके अनुसार बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा।

ii. बैंक अपने विवेकानुसार, बिना कोई कारण बताए, एटीएम/डेबिट कार्ड और/या इससे संबंधित सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा को वापस लेने, बंद करने, रद्द करने, निलंबित करने या समाप्त करने का हकदार होगा और ग्राहक द्वारा ऐसी कार्रवाई से किसी भी तरह से होने वाले किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी कार्रवाई तत्काल और बिना किसी पूर्व सूचना के की जा सकती है, यदि बैंक के दृष्टिकोण से परिस्थितियाँ इसकी गारंटी देती हैं।

iii. एटीएम/डेबिट कार्ड पर किए गए खाता लेन-देन के उपयोग या प्रकृति की निगरानी करने में बैंक की असमर्थता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बैंक अपने विवेकानुसार लेकिन इस संबंध में किसी भी दायित्व, देयता या जिम्मेदारी के बिना, ऐसे किसी भी निर्देश को लागू न करने का निर्णय ले सकता है, जहाँ बैंक के पास यह मानने का कारण है कि निर्देश वास्तविक नहीं हैं या संदेह पैदा करने वाले हैं या अन्यथा अनुचित हैं और किसी भी कारण से उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है।

iv. बैंक अपने विवेकानुसार, बैंक के परिसर/मशीनों/उपकरणों और/या किसी साझा नेटवर्क पर बैंक की सुविधाओं तक ग्राहक की पहुँच/उपस्थिति/उपयोग को वीडियोटेप या कैमरे पर रिकॉर्ड कर सकता है और ग्राहक समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि बैंक किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ऐसी क्लिपिंग के फुटेज पर भरोसा कर सकता है।

v. ग्राहक द्वारा शुरू किए गए खाते के लेन-देन केवल तभी पूरे किए जाएँगे जब धनराशि स्पष्ट और किसी भी लागू शुल्क/फीस आदि सहित लेन-देन राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। प्रत्येक पूर्ण किए गए लेन-देन की राशि तुरंत खाते से डेबिट कर दी जाएगी।

vi. यदि ग्राहक द्वारा दिया गया कोई निर्देश बैंक द्वारा एक से अधिक तरीकों से निष्पादित किया जा सकता है, तो बैंक अपने विवेकानुसार ऐसे किसी भी तरीके से ऐसे निर्देश को निष्पादित कर सकता है।

vii. बैंक किसी भी कारण से एटीएम/डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने में किसी भी विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य सिस्टम से संबंधित विफलता, व्यवधान, अप्रत्याशित घटना या बैंक के नियंत्रण से बाहर अन्य परिस्थिति शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

viii. धारक यह सुनिश्चित करेगा कि एटीएम/डेबिट कार्ड द्वारा शुरू किए गए सभी खाता लेन-देन ठीक से समाप्त हो जाएं ताकि किसी अन्य व्यक्ति को खाते पर लेन-देन करने की अनुमति न मिले;

ix. धारक और ग्राहक, संयुक्त रूप से और अलग-अलग, बैंक को नियमों और शर्तों में निर्धारित तरीके से सूचित करने के लिए जिम्मेदार होंगे, यदि एटीएम/डेबिट कार्ड और/या पिन का धोखाधड़ी से उपयोग किया गया है या होने की संभावना है या दुरुपयोग किया जा रहा है।

x. ग्राहक विशेष रूप से सहमत हैं, स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफ़र (योजना, उपहार, छूट, आदि) उस विशिष्ट ऑफ़र के नियमों और शर्तों के अधीन है।

xi. ग्राहक आगे सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि बैंक किसी भी तरह से, ग्राहक/धारक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऑफ़र के तहत प्रोडक्ट्स/सेवाओं के उपयोग या गैर-उपयोग से होने वाले किसी भी हानि, क्षति या चोट के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा। उपरोक्त के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, बैंक द्वारा किसी भी पूर्व सूचना के बिना किसी प्रस्ताव को समाप्त/वापस लिया/संशोधित किया जा सकता है। बैंक, मर्चेंट इस्टैब्लिशमेंट द्वारा अधिसूचित प्रस्ताव समाप्ति तिथि के बाद या बाद में बैंक द्वारा बदले गए प्रस्ताव को जारी रखने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा, जैसा भी मामला हो। इसके अतिरिक्त, बैंक किसी भी समय, पूर्व सूचना के साथ, प्रस्ताव के नियमों और शर्तों को जोड़ने/बदलने/बदलने/संशोधित करने या किसी प्रस्ताव को पूरी तरह या आंशिक

रूप से किसी अन्य प्रस्ताव के साथ बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो समान या अन्यथा हो।

xii. बैंक सभी सफल एटीएम/डेबिट कार्ड लेन-देन के लिए, चाहे राशि कुछ भी हो, ग्राहक/धारक के बैंक में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अलर्ट भेजेगा। किसी भी असफल/अस्वीकृत लेन-देन के लिए अलर्ट नहीं भेजे जाएँगे।

6. **उपयोग पर सीमा**

बैंक प्रतिदिन खाता लेन-देन की न्यूनतम और/या अधिकतम कुल राशि को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसी सीमाएँ खाते में स्पष्ट धनराशि की उपलब्धता के अधीन होती हैं। ग्राहक स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि दैनिक न्यूनतम और/या अधिकतम लेन-देन सीमाएँ सभी डिवाइस (भारत के भीतर और भारत के बाहर) पर लागू होती हैं और विभिन्न साझा नेटवर्क से संबंधित विभिन्न डिवाइस के बीच भिन्न हो सकती हैं। धारक को बैंक द्वारा निर्धारित समग्र अधिकतम सीमा तक अपनी सीमाएँ निर्धारित करने की भी अनुमति होगी। विभिन्न एटीएम/माइक्रो एटीएम/नेटवर्क के माध्यम से लेन-देन के लिए इन सीमाओं में एकरूपता की कमी के कारण ग्राहक को होने वाले किसी भी नुकसान या असुविधा के लिए बैंक उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।

7. **रिवॉर्ड स्कीम**

बैंक ग्राहक को एटीएम/डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर विभिन्न रिवॉर्ड स्कीम ऑफर कर सकता है। ग्राहक समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि विशिष्ट नियम और शर्तें ऐसी किसी भी रिवॉर्ड स्कीम पर लागू होंगी, जैसा कि बैंक द्वारा अपने विवेक से निर्धारित किया जा सकता है और जैसा कि ग्राहक को सूचित किया जा सकता है। बैंक के पास व्यापारियों और/या प्रोडक्ट्स को चुनने का अंतिम विवेक होगा जहां ग्राहक एटीएम/डेबिट कार्ड का उपयोग करके रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित कर सकता है। ग्राहक समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि यदि एटीएम/डेबिट कार्ड का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुरुपयोग या दुर्व्यवहार किया जाता है या रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित करने के लिए किसी खामियों या कमी का फायदा उठाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो बैंक अर्जित रिवॉर्ड पॉइंट्स/रिवार्ड स्कीम को रद्द करने या अर्जित रिवॉर्ड पॉइंट्स को फ्रीज या शोधन करने और उन्हें किसी भी प्रकार और प्रकृति की किसी भी देयता के बिना अमान्य या शून्य और शून्य घोषित करने का अपना एकमात्र अधिकार और विवेक सुरक्षित रखता है इस तरह के दुरुपयोग/दुर्व्यवहारपूर्ण उपयोग/अनुचित उपयोग/धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग/दुर्भावनापूर्ण उपयोग के कारण बैंक को एटीएम/डेबिट कार्ड के उपयोग या संचालन को स्थायी रूप से अस्वीकार या ब्लॉक या रद्द करने का अधिकार होगा। ग्राहक यह भी समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि बैंक ऐसे रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडेम्प्शन/उपयोग द्वारा अर्जित/उपयोग की गई राशि को सीधे ग्राहक के खाते से डेबिट करके वसूलने का हकदार होगा।

8. **प्रोसेसिंग और रूपांतरण फीस या शुल्क**

a. बैंक किसी भी समय अपने विवेकानुसार, पूर्व सूचना के साथ एटीएम/डेबिट कार्ड के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बंद कर सकता है। धारक एटीएम/डेबिट कार्ड का उपयोग केवल फ़ेमा, 1999 के प्रावधानों या आरबीआई की ऐसी संशोधित योजना के अंतर्गत निजी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा निकासी और लेन-देन के लिए करेगा, जिसे समय-समय पर लागू किया जा सकता है, और किसी अन्य कारण से नहीं और इसके द्वारा सहमत और पुष्टि करता है कि भारत के बाहर उपयोग नियामक और कानूनी प्रतिबंधों और मुद्रा नियंत्रण कानूनों और सीमाओं के अधीन होगा, जो समय-समय पर दोनों देशों में लागू हो सकते हैं जहां लेन-देन किया जाता है और भारत में भी। ग्राहक समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि खाते, सुविधाओं और एटीएम/डेबिट कार्ड पर लगाई गई कोई भी और सभी अन्य सीमाएँ और/या प्रतिबंध विदेशी मुद्रा निकासी और निजी विदेश यात्रा के लिए लेन-देन के लिए लगाई गई सीमा के अतिरिक्त लागू होंगे, न कि उससे अलग।

b. कार्ड का उपयोग समय-समय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार सख्ती से किया जाएगा। यदि कार्डधारक इसका अनुपालन नहीं करते हैं, तो कार्डधारक फ़ेमा, 1999 तथा विदेशी मुद्रा से संबंधित समय-समय पर लागू किसी अन्य कानून और/या विनियमन के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। कार्डधारक को बैंक या आरबीआई के कहने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य डेबिट कार्ड रखने से वंचित किया जा सकता है। कार्ड भारत के साथ-साथ भारत के बाहर भी उपयोग के लिए मान्य है, लेकिन इस पर "नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए मान्य नहीं है" लिखा होगा। यदि

कार्ड रद्द कर दिया जाता है, चाहे विनिमय नियंत्रण विनियमों के अनुपालन न करने के कारण या अन्यथा, बैंक कार्ड के किसी भी प्रयास के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, जिसके परिणामस्वरूप कार्ड का अनादर किया जाता है।

c. कार्ड का उपयोग उन धन प्रेषणों के लिए नहीं किया जा सकता है, जिनके लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अंतर्गत विनिमय जारी करने की अनुमति नहीं है।

d. धारक और ग्राहक आरबीआई के विनिमय नियंत्रण विनियमों और लागू कानूनों के गैर-अनुपालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी परिणामों से बैंक को क्षतिपूर्ति/प्रतिपूर्ति करेंगे और हानिरहित रखेंगे। अनिवासी भारतीय भारत में जारी किए गए एटीएम/डेबिट कार्ड के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए पात्र होंगे।

e. धारक और ग्राहक यह मानते हैं कि विदेशी मुद्रा निकासी पर सेवा शुल्क लगेगा। ऐसा सेवा शुल्क बैंक के विवेक पर संशोधन के अधीन होगा।

q. खाता खोलते समय और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय ग्राहक को सूचित किया जाता है कि; आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेबिट कार्ड संचालन से संबंधित किसी भी गतिविधि (जैसे लेन-देन के प्रोसेसिंग, डेबिट कार्ड जनरेशन, इन्वेंट्री प्रबंधन और किसी भी अन्य डेबिट कार्ड से संबंधित सेवा, आधार सेवा समझौता) को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता/ओं को, चाहे वे भारत में या विदेश में स्थित हों या किसी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक समूह इकाई को, बैंक के विवेकाधिकार पर, लागू नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार सौंपने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अपने कार्ड/ऐड-ऑन कार्ड सदस्य और हमारे खाते/आवेदन विवरणों का विवरण अपने सेवा प्रदाताओं के साथ आवेदन के प्रोसेसिंग, कार्ड निर्माण और एम्बॉसिंग, लेन-देन और भुगतान प्रसंस्करण, पुरस्कार प्रबंधन सेवाएं, स्टेटमेंट सेवाएं, कार्ड फीचर/लाभ उपयोग, बिक्री/मार्केटिंग और डेबिट कार्ड से संबंधित ग्राहक सेवा जैसी गतिविधियों के लिए सुचारू और निर्बाध प्रसंस्करण और सर्विसिंग के लिए प्रदान/साझा करने के लिए अपनी सहमति देता हूं। ऐसे सेवा प्रदाताओं की मौजूदा सूची संदर्भ के लिए **यहां** संलग्न है

3. **डेबिट कार्ड**

सेवा	परिदृश्य	कार्रवाई	टीएटी
कार्ड सक्रियण	यह कार्य कार्डधारक द्वारा नया डेबिट कार्ड प्राप्त होने पर, खाता खोलने या फिर से जारी करने के समय किया जाएगा।	कार्डधारक को पिन सेट करने के लिए मोबाइल बैंकिंग या नेटबैंकिंग पर जाना होगा या आईवीआर पर कॉल करना होगा। पिन सेट होने के बाद कार्ड सक्रिय हो जाएगा	तत्काल
लेन-देन फ़्लैग सक्षम करना और पसंद की सीमाएँ निर्धारित करना	कार्डधारक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एटीएम, अंतर्राष्ट्रीय पीओएस, ऑनलाइन और संपर्क रहित लेनदेन करने के लिए किया जाएगा	○ इस कार्य को करने के लिए कार्डधारक को मोबाइल बैंकिंग या नेटबैंकिंग पर जाना होगा। ○ कार्डधारक फ्लैग सक्षम करने और सीमा निर्धारित करने के लिए शाखा में भी जा सकते हैं	तत्काल या एसटीपी के अनुसार
कार्ड को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने के लिए	यदि ग्राहक डेबिट कार्ड का उपयोग न करने या कार्ड का पता न लगा पाने के कारण अस्थायी रूप से लेनदेन रोकना चाहता है तो इसे अपने साथ रखें	○ अस्थायी ब्लॉक करने के लिए कार्डधारक को मोबाइल बैंकिंग या नेटबैंकिंग का उपयोग करना होगा। ○ कार्डधारक डेबिट कार्ड को अस्थायी रूप से ब्लॉक कराने के लिए शाखा में भी जा सकते हैं	तत्काल या एसटीपी के अनुसार

		○ कार्डधारक डेबिट कार्ड को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने के लिए बैंकर को कॉल भी कर सकते हैं ○ कार्डधारक कार्ड को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने के लिए एसएमएस सेवा का भी उपयोग कर सकते हैं।	
स्थायी रूप से ब्लॉक करने के लिए	यदि ग्राहक कार्ड खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने का हवाला देकर कार्ड को स्थायी रूप से ब्लॉक करना चाहता है तो इसे अपने साथ रखें।	○ कार्डधारक को स्थायी रूप से ब्लॉक करने के लिए मोबाइल बैंकिंग या नेटबैंकिंग पर जाना होगा। ○ कार्डधारक डेबिट कार्ड को स्थायी रूप से ब्लॉक कराने के लिए शाखा में भी जा सकते हैं ○ कार्डधारक डेबिट कार्ड को स्थायी रूप से ब्लॉक करने के लिए बैंकर को कॉल भी कर सकते हैं	तत्काल या एसटीपी के अनुसार
स्थायी रूप से ब्लॉक करने और फिर से जारी करने के लिए	यदि ग्राहक कार्ड खो जाने या क्षतिग्रस्त होने का हवाला देकर कार्ड को स्थायी रूप से ब्लॉक करना चाहते हैं और कार्ड को फिर से जारी करना चाहते हैं तो इसे साथ रखें	○ कार्डधारक को फिर से जारी करने के लिए स्थायी रूप से ब्लॉक करने हेतु मोबाइल बैंकिंग या नेटबैंकिंग का उपयोग करना होगा। स्थायी ब्लॉक के बाद विकल्प उपलब्ध होगा और कार्ड जारी करने के टीएटी के अनुसार नया कार्ड भेजा जाएगा। ○ कार्डधारक डेबिट कार्ड को स्थायी रूप से ब्लॉक करने और कार्ड को फिर से जारी करने के लिए शाखा में भी जा सकते हैं ○ कार्डधारक डेबिट कार्ड को स्थायी रूप से ब्लॉक करने के लिए बैंकर को कॉल भी कर सकते हैं	तत्काल या एसटीपी के अनुसार
लेन-देन विवाद की स्थिति में	गलत या अनुचित रूप से खाते से राशि डेबिट होने की स्थिति में लेनदेन विवाद उठाने के लिए	○ कार्डधारक विवाद उठाने के लिए बैंकर को कॉल कर सकते हैं या शाखा में जा सकते हैं	तत्काल या एसटीपी के अनुसार

डेबिट कार्ड विवाद समाधान

बैंक आरबीआई द्वारा परिभाषित टीएटी के अनुरूप सभी विवादों का समाधान करेगा।

- ग्राहक बैंक चैनलों यानी बैंकर ऑन कॉल (बीओसी) या शाखा तक पहुंचकर एटीएम/पीओएस/ईसीओएम पर डेबिट कार्ड का उपयोग करके विफल लेन-देन से संबंधित विवाद उठाएगा
- डेबिट कार्ड से संबंधित विफल लेनदेन, अप्राप्त धनराशि और विवाद समाधान नीचे दिए गए निर्धारित टीएटी के अनुसार संसाधित किए जाएंगे

	एटीएम	**पीओएस**	**ईकॉम/ऑनलाइन**
घरेलू	टी+5	टी+5	टी+5
अंतर्राष्ट्रीय	टी+10	टी+10	टी+10